(वाद सं0–1828/4/13/2023-Suo moto)

22.02.2024

दिनांक–29.03.2023 को स्थानीय समाचारपत्र में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ कि जहानाबाद जिलान्तर्गत अनन्तपुर गांव के पास दिनांक–28.03.2023 को वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक, सुधीर कुमार, को हेलमेट व ड्राईविंग लाईसेंस नहीं रहने के कारण भागते हुए 04 किलोमीटर तक पीछा कर एक ASI, मुमताज अहमद, द्वारा उक्त सुधीर कुमार, को गोली मारकर उसे गम्भीर रूप से जख्मी किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर राज्य आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंगाधीन मामले में संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद से प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद के प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्रतिवेदन सहायक निबंधक, (विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या–1382/4/13/2023, दिनांक–03.05.2023 के प्रसंग में भेजा गया है तथा उसकी एक प्रति बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को दी गई है।

उपरोक्त पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से प्रतिवेदन की माँग की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लम्बित उपरोक्त वाद संख्या–1382/4/13/2023, दिनांक–03.05.2023 को राज्य आयोग द्वारा पूर्व में संज्ञान लेने के आधार पर बंद कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद का अपने प्रतिवेदन में कथन है कि प्रसंगाधीन घटना की जाँच अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद से करायी गयी। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद, की ओर से समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार **‘‘तत्कालीन ओ0पी0 अध्यक्ष, ओकरी, चन्द्रहांस सिंह, को एक शराब तस्कर के सम्बन्ध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ओ0पी0 अध्यक्ष स्वयं गाड़ी चलाकर साथ में स0अ0नि0 मुमताज अहमद, व स0अ0नि0 भीम सिंह, तथा दो सिपाहियों के साथ अनंतपुर पुल के पास गाँव से गुजरने वाली सड़क के बगल में मंदिर के पास वाहन चेकिंग करना प्रारंभ किया। वाहन चेकिंग के दौरान लगभग**

09:50 बजें मोदनगंज की ओर से ग्लैमर मोटरसाईकिल पर एक लड़का कंधे पर बैग लिये हुए तेजी से आ रहा था, जिसे सर्वप्रथम रोकने का प्रयास ओ0पी0 अध्यक्ष एवं स0अ0नि0 भीम कुमार सिंह, द्वारा किया गया, परंतु इनको cross करते हुए मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति द्वारा मोटरसाईकिल की चाल को बढ़ाकर तेजी से निकलने का प्रयास किया जा रहा था। दुसरी तरफ कुछ दुरी पर चेकिंग कर रहे स0अ0नि0 मुमताज अहमद, एवं अन्य दो सिपाहियों द्वारा हाथ देकर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इसी बीच अचानक बिना आदेश के स0अ0नि0 मुमताज अहमद, ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से, भाग रहे लड़के पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद भी वह लड़का तेजी से निकलते चला गया। पुलिस टीम द्वारा उस लड़के को पकड़ने के लिए पीछा किया गया था, परंतु वह भाग निकलने में कामयाब हो गया और घटना के समय उसकी पहचान भी स्थापित नहीं हो पायी।

उक्त घटना के सम्बन्ध में पुछे जाने पर ओ0पी0 अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी ने घटना से सम्बन्धित बातों को छुपाने का प्रयास किया। उनके द्वारा बताया गया कि चेकिंग के दौरान कोई घटना नहीं घटी है और लड़का को गोली किसी दूसरे स्थान पर जाकर लगी है, परन्तु घटनास्थल का भ्रमण करने के पश्चात एवं सोशल मीडिया पर वायरल घायल युवक के परिजनों से पुछताछ करने पर स्वलिखित ब्यान दर्ज करते हुए स0अ0नि0 मुमताज अहमद, के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा–307 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत घोसी थाना काण्ड संख्या–214/23, दिनांक–28.03.2023 संस्थित किया गया है तथा उसके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि वर्तमान में अभियुक्त स0अ0नि0 मुमताज अहमद, न्यायिक अभिरक्षा में है तथा घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर पु0स0अ0नि0 मुमताज अहमद, द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से पु0स0अ0नि0 मुमताज अहमद, के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा–302 व शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत उसकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है तथा काण्ड वर्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है।’’

उपरोक्त पर राज्य आयोग के दिनांक–06.11.2023 के आदेश के आलोक में पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद से प्रसंगाधीन काण्ड के

अनुसंधान के सम्बन्ध में प्रगति प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ‘‘वर्तमान में उक्त काण्ड का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त, स0अ0नि0 मुमताज अहमद, के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा–302 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। इसके अलावा प्राथमिकी अभियुक्त, स0अ0नि0 मुमताज अहमद के विरूद्ध अलग से विभागीय कार्रवाई भी संचालित किया गया है। वर्तमान में अपचारी स0अ0नि0, मुमताज अहमद, निलंबित है तथा संचिका संचालन में है।’’

अब जबकि पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, एक निर्दोष व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है, तो ऐसी परिस्थिति में मृतक के आश्रित, सरकार के स्तर से, मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत होते है।

उक्त के आलोक में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना से अनुरोध है कि प्रसंगाधीन मामले में मृतक सुधीर कुमार, उम्र–20 वर्ष, पिता–रविन्द्र प्रसाद, साकिन–कोरथू, थाना–तेल्हाड़ा, जिला–नालन्दा (बिहारशरीफ) को 08 सप्ताह के अन्दर मुआवजा के रूप में 04 लाख रूपये का भुगतान कर, राज्य आयोग को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना को (सभी पुलिस प्रतिवेदनों की प्रति अनुलग्नित कर) भेजते हुए इसकी एक प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना व जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ के माध्यम से मृतक के आश्रित को भेजी जाय।

दिनांक–26.07.2024 को अनुपालन प्रतिवेदन की प्रत्याशा में संचिका उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव